उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

पी0डी0एस0 लाईसेंस कैन्सिलेशन अपीलवाद संख्या–87/2020–21

नारी चेतना महिला समिति

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

06.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख और उसमें संधारित कागजातों का अवलोकन किया गया। यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के कार्यालय ज्ञापांक–606, दिनांक–21.05.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0–41/09 लबुडीह पंचायत काण्ड्रा, चास को रद्ध करने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया था। जिसमें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी दिनांक–18.09.2020 को आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी का आदेश उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलकर्त्ता के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P.(C) No. 4277 of 2020 दाखिल किया गया, जिसमें मान्नीय न्यायालय के द्वारा दिनांक–07.06.2022 निम्नांकित आदेश पारित करते हुए निदेशित किया गया कि– "Considering the same, this Court perused the entire materials available on record as well as counter-affidavit filed by the respondents-State. It appears that order of Deputy Commissioner, Bokaro is a cryptic order, which ought to have been reasoned order considering all the submissions and documents filed on behalf of the petitioners.

Accordingly, the order dated 18.09.2020 passed by the appellate authority-cum- Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Bokaro in Appeal case No. 87 of 2020-21 is hereby set aside.

The matter is remanded to the Deputy Commissioner, Bokaro to pass a detail order after giving ample opportunity to the petitioners in accordance with

law." के आलोक में पुनः अपीलकर्त्ता के द्वारा यह आवेदन पत्र दायर किया गया है।

वाद का सार यह है कि माह मई 2020 के विरूद्ध 21.10 क्वी0 चावल जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के लिए प्राप्त किया गया था। दिनांक–08.04.2020 को उक्त खाद्यान को वितरण करने के लिए कार्डधारियों को सूचना दी गयी। विक्रेता के द्वारा वितरण के पूर्व ही कार्डधारियों से हस्ताक्षर/निशान ले लिया गया था। उक्त विक्रेता के द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने का भी आरोप प्रमाणित हुआ है। पणन पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि उनके भण्डार में अवशेष पड़े चावल का वितरण दिनांक–08.05.2020 को अंचल अधिकारी, चास एवं पेट्रोलिंग पुलिस पदाधिकारी, पिण्ड्राजोरा की उपस्थिति में माह मई 2020 के विरूद्ध कार्डधारियों को स्वयं उपस्थित होकर कराया गया। वितरण के समय विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। फलस्वरूप जिला पणन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के कंडिका 20(XV)(घ) में दिए गए शर्तों, कर्त्तव्यों, दायित्वों तथा एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन के आरोप में नारी चेतना महिला समिति, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0–41/09 को रद्ध करने की अनुशंसा की गई। जिससे सहमत होकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो अपने कार्यालय ज्ञापांक–606, दिनांक–21.05.2020 के द्वारा आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को रद्ध कर दिया गया।

उक्त के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को विस्तृत रूप से सुना एवं दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विक्रेता पर लगाया गया आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। ये वर्ष 2009 से निष्ठापूर्वक अनुज्ञप्ति शर्तों का अनुपालन करते हुए विधिवत लाभुकों को स–समय अनाज का वितरण करते आए है। जिस शिकायत को आधार बनाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्ध

की गई है, वह सरासर गलत है। कोविड–19 के दौरान सरकार के दिशा निदेशों का अनुपालन किया जाना था, ताकि लाभुकों के बीच संक्रमण न फैले, इसके मद्धेनजर अनाज वितरण करने के पूर्व कार्डधारियों से हस्ताक्षर लिया गया था। सरकार के द्वारा माह मई 2020 का चावल को माह अप्रैल 2020 में अग्रिम दिए जाने का निदेश था। लेकिन स्थानीय मुखिया श्री शशिकान्त महतो के द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाभुकों को यह कहकर भड़का दिया गया कि अभी अप्रैल माह चल रहा है लेकिन विक्रेता के द्वारा माह मई–2020 का अनाज वितरण करने की बात कह कर रजिस्टर पर हस्ताक्षर/निशान ले लिया गया है, जो कि गलत है। ऐसा सुनकर लाभुकों ने अनाज लेने से मना कर दिया और विवाद करने लगे। ग्रामीण राजनीति के कारण उन्हें साजिश के तहत बली का बकरा बनाकर उनकी अनुज्ञिप्त रद्ध करने से संबंधित कार्रवाई की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्ध करने के पूर्व न तो उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया और न ही दाखिल कारण–पृच्छा पर कोई विचार ही किया गया। यहाँ तक कि जाँच रिपोर्ट की प्रति भी अपीलकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया और आदेश पारित कर दिया गया। जिस शिकायत के आधार पर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्ध की गई है उन शिकायतों/आरोपों की जाँच तक नहीं की गई है और न ही सत्यापन किया गया है। आदेश पारित करने के पूर्व नैसर्गिक न्याय को भी ध्यान में नहीं रखा गया। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि नारी चेतना महिला समिति, जन वितरण प्रणाली के दुकान चलाने वाली उन सभी 12 महिलाओं एवं उनके परिवार का भरण पोषण होता था। अतः उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के आदेश ज्ञापांक–606/आ0, दिनांक–21.05.2020 को खारिज कर अपीलकर्त्ता के जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–41/09 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ

कि विक्रेता के द्वारा खाद्यान वितरण के पूर्व ही कार्डधारियों से हस्ताक्षर/निशान ले लिया गया था। जो झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के कंडिका 20(XV)(घ) में दिए गए शर्तों, कर्त्तव्यों, दायित्वों तथा एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन है। अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसा किया जाना उनकी गलत मंशा को दर्शाता है। इसके लिए अपीलकर्त्ता निश्चित रूप से दोषी है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए दलील का कोई ठोस आधार नहीं है।

वर्णित परिस्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के कार्यालय ज्ञापांक–606/आ0, दिनांक–21.05.2020 के द्वारा पारित आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

06.6.23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

06.6.23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

C. C. Issued Vide 3777 Dated 27/7/23

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.21 14:09:46 +05:30
Location: 192.168.1.102